राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखण्ड

A1,आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून–248013

ई–मेल : ceo-shauk@uk.gov.in

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण

उत्तराखण्ड शासन

पत्रांक– रा0स्वा0प्रा0 / 2022-23 / 321 दिनांक 10 जून, 2022

ग्लोबल मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, काशीपुर, जिला ऊधमसिंह नगर को निर्गत किये गये "निलम्बन एंव कारण बताओ नोटिस" के सम्बन्ध में प्राप्त उत्तर के क्रम में प्रकरण के निस्तारण के सम्बन्ध में आदेश

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (SHA) द्वारा संचालित स्वास्थ्य योजनायें, प्रधानमंत्री जन–आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना एंव राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (PMJAY/AAUY/ SGHS) के अन्तर्गत सूचीबद्ध चिकित्सालय ग्लोबल मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, गौराया मिल के सामने, बाजपुर रोड़, काशीपुर, उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड को प्राधिकरण के पत्रांक रा0स्वा0प्रा0 / 2021-22 / 292 दिनांक 04 जून, 2022 द्वारा "निलम्बन एंव कारण बताओ नोटिस" निर्गत किया गया, जो निम्न प्रकार है :–

"निलम्बन एंव कारण बताओ नोटिस"

हॉस्पिटल द्वारा प्रस्तुत किये गये क्लेम्स् के परीक्षण किये जाने पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) द्वारा निर्गत गाईडलाईन्स के उल्लघंन की निम्न अनियमिततायें प्रकाश में आई है :–

i. हॉस्पिटल द्वारा रोगी की Pre-post on-bed photo को क्लेम्स् हेतु दाखिल नहीं किया गया है;

ii. हॉस्पिटल द्वारा क्लेम्स् हेतु दाखिल OT नोट्स / डिस्चार्ज समरी में Treating Doctor का नाम एंव उसके हस्ताक्षर नहीं हैं;

iii. हॉस्पिटल द्वारा क्लेम्स् हेतु रोगी की मात्र इमरजेंसी वार्ड की फोटो दाखिल की गयी है तथा ICU/GW, जिनके लिये Preauthorisation/enhancements लिया गया, उनके लिये रोगी की कोई फोटो नहीं दाखिल की गयी है;

iv. हॉस्पिटल द्वारा क्लेम्स् हेतु रोगी की मात्र General Ward की फोटो दाखिल की गयी है, जबकि रोगी के लिये ICU enhancement/claim लिया गया है तथा ICU की कोई फोटो दाखिल नहीं की गयी है;

v. हॉस्पिटल द्वारा ICU हेतु Preauthorisation/enhancement/claim लिया गया किंतु रोगी का उपचार General/Private Ward में किया गया तथा क्लेम हेतु दस्तावेज भी General Ward के दाखिल किये गये; तथा

vi. हॉस्पिटल द्वारा ICU हेतु दाखिल की गयी रोगी की फोटो में IV line दृष्टनीय नही है/ Vital chart उपलब्ध नही है (अथवा भर्ती के प्रत्येक दिन हेतु उपलब्ध नही है)/रोगी को ICU से Direct Discharge किया गया (अथवा अत्यन्त अल्प अवधि के लिये General Ward में दिखाकर) Discharge किया गया।

हॉस्पिटल द्वारा दाखिल किये गये क्लेम्स् में की गयी उक्त अनियमितताओं के 253 Cases की सूची सलंग्नक में दी गयी है। इन Cases में हॉस्पिटल द्वारा उक्त एक (अथवा अधिक) अनियमिततायें की गयी हैं।

हॉस्पिटल पर लगाये गये उक्त आरोप मरीजों के स्वास्थ्य/जीवन के लिए एक गम्भीर खतरा उत्पन्न कर सकता है, अतः सम्यक विचार एंव परीक्षण के उपरान्त हॉस्पिटल की इम्पैनलमेंट और डी–इम्पैनलमेंट की गाईडलाइन्स के अन्तर्गत हॉस्पिटल की सूचीबद्धता (Empanelment) तत्काल प्रभाव से निलम्बित (Suspend) की जाती है, ताकि भविष्य में ऐसी अनियमितताओं/मरीजों को गैर सुरक्षित उपचार/गलत भुगतान की संभावना से बचा जा सके।

उक्त आरोप के सम्बन्ध में हॉस्पिटल को "इम्पैनलमेंट और डी–इम्पैनलमेंट की गाईडलाइन्स" के अन्तर्गत यह **"कारण बताओ नोटिस"** भी दिया जाता है कि हॉस्पिटल के साथ किये गये अनुबंध एंव राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) की गाईडलाईंन्स के प्राविधानों के अनुसार **क्यों न हॉस्पिटल की सूचीबद्धता निरस्त करते हुये उसका डी–इम्पैनलमेंट कर दिया जाये।**

"निलम्बन एंव कारण बताओ नोटिस" का प्रतिउत्तर

ग्लोबल मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, काशीपुर, जिला ऊधमसिंह नगर द्वारा "निलम्बन एंव कारण बताओ नोटिस" का दिनांक 08.06.2022 को ई–मेल के माध्यम से उत्तर दिया गया जो निम्न प्रकार है :–

GLOBAL MULTISPECIALITY HOSPITAL

सेवा में,

निदेशक

अटल आयुष्मान योजना उत्तराखंड देहरादून

विषय:- पत्रांक संख्या राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण 2022-23/292 के संदर्भ में।

महोदय,

1:- हमारे द्वारा सभी मरीजों की ऑपरेशन के दौरान ली गयी फ़ोटो TMS PORTAL पर उपलब्ध है, जो मरीज का ऑपरेशन होना वास्तविक रूप से दर्शाती है। आयुष्मान मित्रों/EMO द्वारा डिस्चार्ज पेपर पर डॉक्टर इंचार्ज के साइन व स्टांप ना लगाकर अस्पताल की मोहर लगाना आयुष्मान मित्रों के कम अनुभवी होने के कारण वश हुआ है। महोदय आपके द्वारा इस तरह के अधिकतर case's CPD एवं ACO अप्रूव्ड थे जिसके कारण आयुष्मान मित्रों को अपनी कमी का आभास नहीं हो पाया यदि अनुभवी CPD/SHA प्रारंभिक केसों में ही इस प्रकार की चेतावनी दे देते तो आयुष्मान मित्र प्रारंभ में ही अपनी गलतियों को सुधार कर इस तरह की अनुभवहीनता का कार्य नहीं करते। अस्पताल प्रशासन आयुष्मान मित्रों की अनुभवहीनता के लिए क्षमाप्रार्थी है तथा भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृति न होने का आश्वासन देता है।

2:- ग्लोबल मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल में स्त्री रोग विभाग, अस्थि रोग,मेडिसीन रोग विभाग, बाल रोग विभाग, एवं जनरल सर्जरी रोग विभाग में पूर्णकालिक एवं ऑन कॉल चिकित्सक कार्यरत है जिनके सैलरी के अभिलेख उपलब्ध है।

3:- सभी डिस्चार्ज EMO द्वारा इंचार्ज डॉक्टर की देख रेख में ही बनाये जाते है।

4:- सभी मरीजों को भर्ती और डिस्चार्ज के दौरान BIOAUTH किया गया है।

5:- सभी मरीजों का सरकारी अस्पताल से रैफर प्राप्त होने के ही उपरांत इलाज किया गया है जिससे मरीज की बीमारी दर्ज है।

6:- मेडिसिन विभाग के ज्यादातर मरीजों की जनरल वार्ड/ icu की फोटो भेजी गई है। यद्यपि कुछ मरीजों का पैकेज नये आयुष्मान मित्रो द्वारा उचित रूप से चयनित नहीं किया गया, जिसके लिए अस्पताल प्रशासन क्षमा प्रार्थी है। भविष्य में अस्पताल प्रशासन ज्यादा दक्ष आयुष्मान मित्रो व EMO द्वारा ही आयुष्मान योजना में कार्य करने का वचन देता है।

7:- सभी ऑपरेशन वाले मरीजों का सत्यापन पत्र, डिस्चार्ज पेपर, ऑपरेशन के प्रपत्र तथा मेडिसीन विभाग के सभी मरीजों का डिस्चार्ज पेपर व सत्यापन पत्र डॉक्टर इंचार्ज द्वारा मोहर सहित हस्ताक्षरित करके आपको सेन्ड की जा रही है।

8:- जिन डॉक्टरों का अनुबंध अस्पताल से समाप्त हो गया है उनके दस्तावेज मेडिकल सुपरिटेंडेंट द्वारा हस्ताक्षरित करके सत्यापित किया जा रहा है।

9:- महोदय आपके साथ अनुबंधित MOU में तृतीय गलती पर डीपेनल करने का प्रावधान है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है की सभी अभिलेखों का निरीक्षण करके अस्पताल को अंतिम अवसर देने की कृपा करें।

भवदीय

आशीष कुमार अरोरा

ग्लोबल मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल काशीपुर

गौराया मिल के सामने, बाजपुर रोड, काशीपुर (ऊधम सिंह नगर) उत्तराखण्ड

रिसेप्शन : 7298511512 | इमरजेन्सी : 7298511511 | एम्बुलेन्स : 7298511509 | info.globalhospitalkashipur@gmail.com

The reported result are for information & interpretation of the referring doctor or such other medical professionals who understand reporting units, reference renges & limitations of the technologies result may very from lab to lab & from time for the same parameter for the same patient.

<u>हॉस्पिटल पर लगाये गये ''आरोप'', निर्गत किया गया ''निलम्बन एवं कारण बताओ नोटिस'' तथा ''हॉस्पिटल का प्राप्त उत्तर'' का राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा विश्लेषण एवं निष्कर्ष</u>

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा हॉस्पिटल पर लगाये गये आरोप के सम्बन्ध में उनके द्वारा दिये गये उत्तर का सम्यक् परीक्षण किया गया।

हॉस्पिटल के विरूद्ध यह आरोप है कि हॉस्पिटल द्वारा रोगी की Pre-post on-bed photo को क्लेम्स् हेतु दाखिल नहीं किया गया है, **किंतु हॉस्पिटल द्वारा इस आरोप का कोई उत्तर नहीं दिया गया है।** हॉस्पिटल द्वारा अनेक मामलों में (जिनकी सूची ''निलम्बन एंव कारण बताओ नोटिस'' में हॉस्पिटल को उपलब्ध करायी गयी है) Pre-post on-bed photo जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) की गाईडलाईन्स तथा Claim Adjudication Manual के अनुसार दाखिल किया जाना अनिवार्य है, को दाखिल नही किया गया है।

हॉस्पिटल के विरूद्ध यह आरोप है कि हॉस्पिटल द्वारा क्लेम्स् हेतु रोगी की मात्र इमरजेंसी वार्ड की फोटो दाखिल की गयी है तथा ICU/GW, जिनके लिये Preauthorisation/enhancements लिया गया, उनके लिये रोगी की कोई फोटो नहीं दाखिल की गयी है, **किंतु हॉस्पिटल द्वारा इस आरोप का कोई उत्तर नहीं दिया गया है।** हॉस्पिटल द्वारा अनेक मामलों में (जिनकी सूची ''निलम्बन एंव कारण बताओ नोटिस'' में हॉस्पिटल को उपलब्ध करायी गयी है) ICU/GW, जिनके लिये Preauthorisation/enhancements लिया गया, उनके लिये रोगी की कोई फोटो, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) की गाईडलाईन्स तथा Claim Adjudication Manual के अनुसार दाखिल किया जाना अनिवार्य है, को दाखिल नही किया गया है।

हॉस्पिटल के विरूद्ध यह आरोप है कि हॉस्पिटल द्वारा क्लेम्स् हेतु रोगी की मात्र General Ward की फोटो दाखिल की गयी है, जबकि रोगी के लिये ICU enhancement/claim लिया गया है तथा ICU की कोई फोटो दाखिल नहीं की गयी है, **किंतु हॉस्पिटल द्वारा इस आरोप का कोई उत्तर नहीं दिया गया है।** हॉस्पिटल द्वारा अनेक मामलों में (जिनकी सूची ''निलम्बन एंव कारण बताओ नोटिस'' में हॉस्पिटल को उपलब्ध करायी गयी है) ICU enhancement/claim की कोई फोटो, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) की गाईडलाईन्स तथा Claim Adjudication Manual के अनुसार दाखिल किया जाना अनिवार्य है, को दाखिल नही किया गया है।

हॉस्पिटल के विरूद्ध यह आरोप है कि हॉस्पिटल द्वारा ICU हेतु Preauthorisation/enhancement /claim लिया गया किंतु रोगी का उपचार General/Private Ward में किया गया तथा क्लेम हेतु दस्तावेज भी

General Ward के दाखिल किये गये, **किंतु हॉस्पिटल द्वारा इस आरोप का कोई उत्तर नहीं दिया गया है।** हॉस्पिटल द्वारा अनेक मामलों में (जिनकी सूची "निलम्बन एंव कारण बताओ नोटिस" में हॉस्पिटल को उपलब्ध करायी गयी है) उनके द्वारा ICU हेतु Preauthorisation/enhancement/claim लिया गया किंतु रोगी का उपचार General/Private Ward में किया गया तथा क्लेम हेतु दस्तावेज भी General Ward के दाखिल किये गये हैं। अतः हॉस्पिटल द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) की गाईडलाईन्स तथा Claim Adjudication Manual के अनुसार ICU का लिया गया क्लेम गलत है।

हॉस्पिटल के विरूद्ध यह आरोप है कि हॉस्पिटल द्वारा ICU हेतु दाखिल की गयी रोगी की फोटो में IV line दृष्टनीय नही है/Vital chart उपलब्ध नही है (अथवा भर्ती के प्रत्येक दिन हेतु उपलब्ध नही है)/रोगी को ICU से Direct Discharge किया गया (अथवा अत्यन्त अल्प अवधि के लिये General Ward में दिखाकर) Discharge किया गया, **किंतु हॉस्पिटल द्वारा इस आरोप का कोई उत्तर नहीं दिया गया है।** हॉस्पिटल द्वारा अनेक मामलों में (जिनकी सूची "निलम्बन एंव कारण बताओ नोटिस" में हॉस्पिटल को उपलब्ध करायी गयी है) उनके द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) की गाईडलाईन्स तथा Claim Adjudication Manual के अनुसार ICU का लिया गया क्लेम गलत है।

हॉस्पिटल के विरूद्ध यह आरोप है कि हॉस्पिटल द्वारा क्लेम्स् हेतु दाखिल OT नोट्स/डिस्चार्ज समरी में Treating Doctor का नाम एंव उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। इस सम्बन्ध में हॉस्पिटल द्वारा यह उत्तर दिया गया है कि ऐसा आयुष्मान मित्रों के कम अनुभवी होने के कारण हुआ है। हॉस्पिटल का यह स्पष्टीकरण स्वीकार्य योग्य नही है, क्योंकि उनके द्वारा दाखिल किये गये लगभग 1000 अन्य क्लेम के मामलों में यह गलती नहीं की गयी। अतः आयुष्मान मित्रों के कम अनुभव का तर्क हॉस्पिटल के अन्य दाखिल किये गये क्लेम से स्वयं ही खारिज हो जाता है। हॉस्पिटल द्वारा दिये गये अपने उत्तर में डॉ0 इन्चार्ज द्वारा मोहर सहित हस्ताक्षरित सत्यापन पत्र उपलब्ध कराया गया है, जिसे इतने विलम्ब के पश्चात अब स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हॉस्पिटल द्वारा Treating Doctor के नाम एंव उसके हस्ताक्षर बिना क्लेम्स् हेतु OT नोट्स/डिस्चार्ज समरी दाखिल किया जाना राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) की गाईडलाईन्स तथा Claim Adjudication Manual का स्पष्ट उल्लघंन है तथा ऐसे क्लेम्स् स्वीकार्य योग्य नहीं हो सकते हैं। "निलम्बन एंव कारण बताओ नोटिस" दिये जाने के पश्चात सत्यापन पत्र द्वारा अब क्लेम्स् के दस्तावेजों में संशोधन, Rectification तथा पुर्ननिर्माण अनुमन्य नहीं किया जा सकता है।

हॉस्पिटल द्वारा गलत तरीके से क्लेम्स् प्राप्त करने हेतु अनेक बार गलतियां की गयी हैं। "निलम्बन एंव आरोप पत्र" में इंगित किये गये 253 केसेस के अतिरिक्त हॉस्पिटल के 61 क्लेम्स् को समय–समय पर निरस्त किया गया, किंतु उसके पश्चात भी हॉस्पिटल की कार्य प्रणाली में सुधार नहीं हुआ।

हॉस्पिटल पर लगाये गये आरोप तथा हॉस्पिटल द्वारा अपने उत्तर में हॉस्पिटल द्वारा दिये गये लिखित कथन का भलिभांति अध्ययन एंव सम्यक् परीक्षण के उपरान्त राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हॉस्पिटल का उत्तर/स्पष्टीकरण पूर्णतया असंतोषजनक है तथा हॉस्पिटल पर लगाया गया आरोप सिद्ध होता है। अतः यह स्पष्ट है कि हॉस्पिटल द्वारा क्लेम्स् प्राप्त करने हेतु न केवल राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ कपटपूर्ण व्यवहार/धोखाधड़ी की गयी है, वरन् रोगियों के समुचित उपचार व उनके जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से भी यह एक गंभीर आपराधिक कृत्य है। ऐसे हॉस्पिटल को सूचीबद्ध रखा जाना जनहित में वांछनीय नहीं है।

आदेश

ग्लोबल मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, काशीपुर, जिला ऊधमसिंह नगर को दिये गये "निलम्बन एंव कारण बताओ नोटिस" पत्रांक रा0स्वा0प्रा0/2021-22/292 दिनांक 04 जून, 2022 में लगाये गये आरोप के क्रम में उनके द्वारा ई–मेल के माध्यम से दिये गये उत्तर दिनांक 08 .06.2022 के सम्यक् परीक्षण एंव निष्कर्षं के उपरांत हॉस्पिटल एंव राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के मध्य अनुबंध के सैक्शन 11, अनेक्शर 6 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों एंव राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) द्वारा निर्गत **Guidelines on Hospital Empanelment and De-empanelment** के चैप्टर 6 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत ग्लोबल मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, काशीपुर, जिला ऊधमसिंह नगर की सूचीबद्धता (**Empanelment**) तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुये उसका **De-empanelment** किया जाता है। ग्लोबल मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, काशीपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के सम्बन्ध में अन्य कार्रवाई विधि अनुसार पृथक से की जायेगी। इस आदेश को श्री आशीष कुमार अरोड़ा, ग्लोबल मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, गौराया मिल के सामने, बाजपुर रोड़, काशीपुर, उधमसिंहनगर– 244713 उत्तराखण्ड को ई–मेल तथा रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाये।

(संजीव कुमार सिंह)
निदेशक, प्रशासन
(प्राधिकृत अधिकारी)
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA), भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

3. अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, देहरादून।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, देहरादून।

प्रतिलिपिः–

1. Insurance Regulatory and Development Authority of India, Sy No. 115/1, Financial District, Manakramguda, Gachibowli, Hyderabad-500032.
2. Employees State Insurance, Regional Office, Wing No.4, Shivpuri, premnagar, Dehradun, Uttarakhand 248007, Tel : 0135-2771753, Email: Id-uchal@esic.nic.in.
3. Director, Health Services (ESIS), Village Makkawala, Near DIT College, Musssoorie Road Dehradun, Fax 0135-2734636, Email: diresidehradun@gmail.com.
4. Joint Director, CGHS, 19, Navyug Enclave, Indirapuram, Phase-3, Milan Vihar, GMS Road, Dehradun-248001, Email : cghsdehradun@rediffmail.com.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु :–

1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
2. जिला अधिकारी, जनपद ऊधम सिंह नगर।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद ऊधम सिंह नगर।
4. समस्त निदेशक, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (SHA) को इस आशय से प्रेषित की अपने डिवीजन से सम्बन्धित कार्रवाई सुनिश्चित करें।
5. राज्य समन्वयक, क्रियान्वयन सहायता एजेंसी, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण।
6. सीनियर मैनजेर आई0टी0, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
7. आई0 ई0 सी0 सैल, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण।
8. श्री आशीष कुमार अरोड़ा, ग्लोबल मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, गौराया मिल के सामने, बाजपुर रोड़, काशीपुर, उधमसिंहनगर–244713 उत्तराखण्ड, E-mail Id: info.globalhospitalkashipur@gmail.com
9. गार्ड फाइल।

(संजीव कुमार सिंह)
निदेशक, प्रशासन
(प्राधिकृत अधिकारी)
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण